

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Notification

The 21st October, 2015

No.3/42/83-3 Lab.— In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act XI of 1948), the Governor of Haryana after considering the objections / suggestions received in response and after consultation with the State Minimum Wages Advisory Board, Haryana with reference to Haryana Government, Labour Department notification No.3/42/2014-3 Lab, dated 14th August, 2014, hereby fixes / revises the minimum rates of wages (all inclusive) in respect of different scheduled employments as mentioned in the schedules given below with effect from the 1st November, 2015, in the State of Haryana, which were previously fixed/revised vide Haryana Government, Labour Department, Notification No.3/42/83-3 Lab dated the 27th June, 2007.

SCHEDULE

Sr. No.	Name of Scheduled Employments
1	2
1.	Agricultural implements, Machine Tools and General Engineering including Cycle and Electrical Goods Industry
2.	Cinema Industry
3.	Saw Mill and Timber Trade Industry
4.	Cotton Ginning and Pressing Industry
5.	Textile Industry
6.	Glass Industry
7.	Public Motor Transport
8.	Tanneries and Leather Manufacturing
9.	Rice Mills, Floor Mills and Dal Mills
10.	Rubber Industry
11.	Local Authorities
12.	Operation of Tubewell Industry
13.	Woollen Carpet making or shawl weaving establishment run on powerloom or handloom
14.	Shops and Commercial Establishments
15.	Tailoring, Stitching and Embroidery Establishments
16.	Public Works Departments, Irrigation
17.	Oil Mills
18.	Manufacturing of Khandsari, Gur and Shakkar
19.	Private printing presses
20.	(i) Non ferrous Metal Rolling and Re-rolling Industry (ii) Brass, Copper and Aluminium Utensils making Industry
21.	Scientific Industry
22.	Chemical and Distillery Industry
23.	Contract or Establishments of Forest Department
24.	Electroplating using salts or chromium nickel or any other compound and connected buffing and polishing Industry
25.	Ferrous Metal Rolling and Re-rolling Industry
26.	(i) Constructions and Maintenance of Roads and Building operation Stone breaking and Stone crushing (ii) Public Works Department, Public Health
27.	Ayurvedic and Unani Pharmaceuticals
28.	Potteries, ceramics and refractory Industry
29.	Automobiles repair workshops

30. Paper Card Board and Typewriter Ribbon Industry
31. Asbestos Cement Factories and Cement Products
32. Petro and Diesel Oil Pumps
33. Foundries with or without attached machine shops
34. Readymade Garments
35. Food Products, Dairy products, Grain Mills products and Bakery products
36. Manufacturing of soap in any form, other washing products, synthetic detergent and cosmetic
37. Co-operative Credit and Service Societies and Mini Banks
38. Forestry or any other development work related thereto
39. Packing Industry
40. Agriculture
41. Rag Cleaning and Sorting
42. Any manufacturing process wherein manufacturing process as defined under section 2 (k) of the Factories Act, 1948
43. Private coaching classes schools including nursery schools and technical institutions
44. In any Shops or Commercial Establishments other than covered under any of the entries in the Schedule
45. Hospital Nursing Homes
46. Electronics and allied or incidental Industries
47. Plastic Industries
48. Brick Kiln
49. Domestic worker
50. Safai Karamchari

Minimum rates of wages in respect of all Scheduled Employments

Sr. No.	Categories of Workers	Qualification and experience	Minimum Rates of Wages	
			4	5
1	2	3	Per month	Per day
*1	Unskilled		7600.00	292.31
*2	Semi-Skilled A		7980.00	306.92
	B		8379.00	322.27
*3	Skilled A		8797.95	338.38
	B		9237.85	355.30
4.	Highly-Skilled		9699.74	373.07
5.	Clerical and General Staff	(i) Below Matriculation	7980.00	306.92
		(ii) Matriculation but not Graduate	8379.00	322.27
		(iii) Graduate or above	8797.95	338.38
		(iv) Steno Typist	8379.00	322.27
		(v) Junior Scale Stenographer	8797.95	338.38
		(vi) Senior Scale Stenographer	9237.85	355.30
		(vii) Personal Assistant	9699.74	373.07
		(viii) Private Secretary	10184.73	391.72
6.	Data Entry Operator		8797.95	338.38
7.	Driver	Light vehicle	9237.85	355.30
		Heavy vehicle	9699.74	373.07

8.	Security Guard	Without weapon	7980.00	306.92
		With weapon	9237.85	355.30
9.	Security Inspector/Security Officer/ Security Supervisor		9699.74	373.07
10.	Safai Karamchari in any employment		8100.00	311.54

* Unskilled employees having five years experience would be deemed categorized as semi skilled "A"

* After 3 years of experience in semi skilled "A" the employees would be deemed categorized as semi skilled "B"

* After 3 years of experience in skilled "A" the employees would be deemed categorized as skilled "B"

11. Brick Kiln (piece rate per 1000)

Serial Number	Category of the employees	Per 1000 bricks	Per 1000 Tiles
1	2	3	
1.	Pathera	₹ 433.04	₹ 487.17
2.	Bharai Wala (Loading of bricks into Kiln)	(a) ₹194.87 per 1000 bricks loaded in the Kiln provided the distance from the field to the kiln is upto 400 meters. Beyond this distance an additional wage of ₹17.32 per 1000 bricks for every additional 100 meter or part thereof shall be paid. These rates will be applicable to the Donkey/Khachar loader only. (b) ₹160.22 loading by the tempo, or any other Mechanical Driven vehicles is upto 1000 meters. Beyond this distance an additional wage of ₹17.32 for 1000 bricks for every additional 500 meters or part thereof shall be paid.	
3.	Keriwala	₹34.64 per 1000 Bricks	
4.	Nikasiwala	₹142.90 per 1000 Bricks	
5.	Chunaiwala	₹8797.95 per month	
6.	Mistri/Coal Man/Jalaiwala	₹8797.95 per month	

Details of workers of categories i.e. Unskilled, Semi-Skilled, Skilled, Highly-Skilled, Clerical and General Staff is as notified vide Haryana Government, Labour Department, notification No. 3/42/83-3 Lab. (1) to (50), dated the 1st March, 2002 and as modified from time to time. The categories of an employee in respect of scheduled employment wherever not categorized earlier or in case of dispute would be decided by the Government.

Annexure-A
Categorization of employment in Brick Kiln

Serial Number	Nature of Work	Category
1.	Cleaner	Unskilled
2.	All Unskilled workers including the workers or loading, unloading operators or	Unskilled
3.	Chowkidar	Semi-Skilled
4.	Munshi/Clerk	
	(a) Below Matric	Semi-Skilled - A
	(b) Matric but not Graduate	Semi-Skilled - B
	(c) Graduate or above	Skilled - A
5.	Jamadar	Skilled - B
6.	Driver	
	(a) Light vehicle	Skilled - B
	(b) Heavy vehicle	Highly-Skilled

Notes:

1. The minimum rates of wages notified herein above are basic rates of minimum wages which are not permitted to be segregated into components in the form of allowances by the employer. The minimum rates of wages being fixed/revised are linked with Haryana State Working Class Consumer Price Index number (base year 1972-73=100) with July 2015, as the base month. There shall be 100 % neutralization of the rise or fall of the consumer price index number on pro rata basis; the adjustment in wages shall be made six monthly i.e. on 1st January and 1st July every year, after taking into account the average rise or fall in the Haryana State Working Class Consumer Price Index number half yearly ending December and June respectively.
2. The minimum rates of wages now being fixed / revised shall not be affected as a result of the linkage as much as the wages shall not fall below those being fixed/revised now.
3. The wages of apprentices appointed under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), shall be regulated under the said Act.
4. There shall be no difference between the wages for men and women workers.
5. Where any of the above categories of workmen are engaged / employed through a contractor, the occupier/ the principal employer shall be personally responsible for ensuring the payment of the minimum rates of wages by the contractor.
6. If any category of workers employed in the employment is not mentioned specifically by name, he/she shall not be paid less than the minimum wages fixed for similar category having same skills.
7. While calculating the per day wages, the monthly wages shall be divided by 26 days but for deduction, if any, shall be calculated as monthly wages divided by 30 days.
8. The categorization of employment in Brick Kiln is placed above at Annexure-A.
9. Above rates do not include food charges. Wherever food is given customarily, it shall be extra.
10. Trainees shall be paid 75% of the wages applicable to the category, but it shall not be less than the Minimum Wages for an unskilled category of worker because an unskilled worker does not require any training. The period of training shall not be more than one year.

SHASHI GULATI,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Labour Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

185-2015/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2015 (ASVINA 29, 1937 SAKA)

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 अक्टूबर, 2015

संख्या 3/42/83-3 श्रम.—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम XI), की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उत्तर में प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर विचार करने के बाद तथा राज्य न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद तथा हरियाणा सरकार, श्रम विभाग, अधिसूचना संख्या 3/42/2014-3 श्रम, दिनांक 14 अगस्त, 2014 के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य में, नीचे दी गई अनुसूची में यथा वर्णित विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के सम्बन्ध में मजदूरी की न्यूनतम दरें (कुल मिलाकर) जो पूर्व में हरियाणा सरकार, श्रम विभाग, अधिसूचना संख्या 3/42/83-3 श्रम, दिनांक 27 जून, 2007 द्वारा नियत/पुनरीक्षित की गई थी, को प्रथम नवम्बर, 2015 से नियत/पुनरीक्षित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

क्रम संख्या	अनुसूचित नियोजनों के नाम
1	2
1	कृषि उपकरणों, मशीनों के औजार और सामान्य इंजीनियरी जिसमें साईकल और विजली माल उद्योग शामिल हैं।
2	रिनिम उद्योग।
3	आरा मिल तथा इमारती लकड़ी उद्योग।
4	कपास ओट्टाई तथा प्रैरिंग उद्योग।
5	कपड़ा उद्योग।
6	ग्लास उद्योग।
7	सार्वजनिक मोटर परिवहन।
8	चर्म शोधन तथा चर्म विनिर्माण।
9	वावल मिलें, आटा मिलें और चाल मिलें।
10	रबड़ उद्योग।
11	स्थापत्य प्राधिकरण।
12	नलकूप परिवहन उद्योग।
13	विजली करघा या हथ करघा से ऊनी कारपेट बनाना अथवा शाल बुनाई स्थापना।
14	दुकानें तथा वाणिज्यिक स्थापनाएं।

Price : Rs. 5.00

(2549)

- 15 टेलरिंग, स्टीचिंग तथा कढ़ाई स्थापनाएं।
 16 लोक निर्माण विभाग, सिंचाई।
 17 तेल मिलें।
 18 खांडसारी, गुड़ और शक्कर विनिर्माण।
 19 प्राइवेट मुद्रणालय।
 20 (i) अलौह (फ़ैरस) धातुरोलिंग तथा री-रोलिंग उद्योग।
 (ii) पीतल, तांबा और एलुमिनियम बर्तन बनाने संबंधी उद्योग।
 21 वैज्ञानिक उद्योग।
 22 रासायनिक तथा आसवनी उद्योग।
 23 वन विभाग का ठेका या स्थापनाएं।
 24 इलैक्ट्रोप्लेटिंग यूजिंग साल्टस या करोमियम निकल या कोई अन्य कंपाउंड और संबन्धित बफिंग तथा पालिशिंग उद्योग।
 25 फ़ैरस मैटल रोलिंग और री-रोलिंग उद्योग।
 26 (i) सड़कों का निर्माण तथा अनुरक्षण तथा भवन संबंधी कार्य तथा पत्थर तोड़ना, पत्थर कूटना।
 (ii) लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य।
 27 आयुर्वेदिक तथा यूनानी फार्मस्यूटीकलज।
 28 फोट्रीज, सैरामिक्स तथा रिफ़ेक्ट्री उद्योग।
 29 आटोमोबाइल मुरम्मत वर्कशाप।
 30 पेपर कार्डबोर्ड तथा टाईपराईटर रिबन उद्योग।
 31 एरबेस्ट्रास सीमेंट फ़ैक्टरियां तथा सीमेंट उत्पादों।
 32 पेट्रोल तथा डीजल आयल पंपस।
 33 संलग्न मशीन शाप्स सहित या रहित ढलाई घर।
 34 रैडीमेट गारमैटस।
 35 खाद्य उत्पादों, डेरी उत्पादों, खाद्यान्न मिल उत्पादों तथा बेकरी उत्पादों।
 36 किसी रूप में साबुन, अन्य धुलाई उत्पादों, सिन्थेटिक प्रलाक्षक तथा अंग रोग के विनिर्माण।
 37 सहकारी ऋण तथा सेवा समितियों तथा मिनी बैंकों।
 38 वन प्रान्त अथवा उससे संबंधित कोई अन्य विकास कार्य।
 39 पैकेजिंग उद्योग।
 40 कृषि।
 41 रैग क्लीनिंग तथा सोर्टिंग।
 42 ऐसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ट) के अधीन यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है।
 43 प्राइवेट कोचिंग क्लासिज, स्कूल जिसमें नर्सरी स्कूल तथा तकनीकी संस्थान भी सम्मिलित हैं।
 44 कोई दुकान या वाणिज्यिक संस्थापनाएं जो अनुसूची में किन्ही प्रविष्टियों के अन्तर्गत शामिल हैं से भिन्न।
 45 अस्पताल नर्सिंग होमस्।
 46 इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संबद्ध अथवा आनुषंगिक उद्योग।
 47 प्लास्टिक उद्योग।
 48 ईट भट्टा।
 49 घरेलू कामगार।
 50 सफाई कर्मचारी।

सभी अनुसूचित नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी दरें				
क्रम संख्या	कर्मचारियों के प्रवर्ग	पद / योग्यता	न्यूनतम मजदूरी दरें	
			4	5
1	2	3	प्रतिमाह	प्रतिदिन
			7600.00	292.31
*1	अकुशल		7980.00	306.92
*2	अर्ध कुशल	क		
		ख	8379.00	322.27
*3	कुशल	क	8797.95	338.38
		ख	9237.85	355.30
4	उच्च कुशल		9699.74	373.07

5	लिपिकीय तथा सामान्य स्टाफ	(i) मैट्रिक से कम	7980.00	306.92
		(ii) मैट्रिक लेकिन स्नातक नहीं	8379.00	322.27
		(iii) स्नातक या ऊपर	8797.95	338.38
		(iv) स्टेनो टाईपिस्ट	8379.00	322.27
		(v) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	8797.95	338.38
		(vi) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	9237.85	355.30
		(vii) निजी सहायक	9699.74	373.07
		(viii) निजी सचिव	10184.73	391.72
6	डाटा एंट्री ऑपरेटर		8797.95	338.38
7	चलक	हल्का वाहन	9237.85	355.30
		भारी वाहन	9699.74	373.07
8	सुरक्षाकर्मी	बिना शस्त्र	7980.00	306.92
		शस्त्र सहित	9237.85	355.30
9	सुरक्षा निरीक्षक/सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा सुपरवाइजर		9699.74	373.07
10	सफाई कर्मचारी किसी भी नियोजन में		8100.00	311.54

- * पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले अकुशल कर्मचारी अर्ध कुशल प्रवर्ग, "क" में माने जायेंगे।
- * अर्ध कुशल प्रवर्ग "क" में तीन वर्ष के अनुभव पश्चात् कर्मचारी अर्ध कुशल प्रवर्ग "ख" में माने जायेंगे।
- * कुशल प्रवर्ग "क" में तीन वर्ष के अनुभव पश्चात् कर्मचारी कुशल प्रवर्ग "ख" में माने जायेंगे।

11. भट्टा उद्योग (प्रति एक हजार पीस रेट)

क्रम सं०	कर्मचारियों का प्रवर्ग	ईट प्रति एक हजार	टाईल प्रति एक हजार
1	2	3	
1	पथेरा	₹433.04	₹487.17
2	भराई वाला (भट्टे में ईटों की भराई)	(क) ₹194.87 प्रति हजार ईट भट्टे में भरना परंतु खेत से भट्टे तक की दूरी 400 मीटर तक हो। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी ₹17.32 प्रति हजार प्रत्येक 100 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी। यह दर केवल गधे/खच्चर की पीठ पर लादकर या पशुचलित रेहड़ी भरने वालों पर ही लागू होगी। (ख) एक हजार मीटर दूरी तक ₹160.22 टैम्पो, या किसी अन्य यान्त्रिक चलित वाहन से ईटें भट्टों से भरना। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी ₹17.32/- प्रति हजार प्रत्येक 500 मीटर या इसके भाग पर दी जाएगी।	
3	कैरी वाला	₹34.64 प्रति एक हजार ईट	
4	निकारी वाला	₹142.90 प्रति एक हजार ईट	
5	चुनाई वाला	₹8797.95 प्रति मास	
6	मिस्त्री/कोल मैन/जलाई वाला	₹8797.95 प्रति मास	

कर्मचारियों के प्रवर्गों के ब्यौरे अर्थात् अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल, लिपिकीय तथा सामान्य स्टाफ जो हरियाणा सरकार, श्रम विभाग, अधिसूचना संख्या 3/42/83-3 श्रम (1) से (50), दिनांक प्रथम मार्च, 2002 तथा समय-समय पर यथा संशोधित द्वारा अधिसूचित है। जिन अनुसूचित नियोजनों के संबंध में कर्मचारी के प्रवर्ग पूर्व में प्रवर्गीकृत नहीं है या किसी विवाद के मामले में, सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सरकार द्वारा निर्णय किया जाएगा।

अनुबंध-क		
ईट भट्टों में रोजगार प्रवर्गीकरण		
क्रम संख्या	कार्य की प्रकृति	प्रवर्ग
1.	क्लीनर	अकुशल
2.	सभी अकुशल श्रमिक जिस में चढ़ाई उतराई का काम भी शामिल है	अकुशल
3.	चौकीदार	अर्धकुशल
4.	मुंशी / लिपिक	
	(क) मैट्रिक से कम	अर्धकुशल - ए
	(ख) मैट्रिक लेकिन स्नातक नहीं	अर्धकुशल - बी
	(ग) स्नातक या ऊपर	कुशल - ए
5.	जमादार	कुशल - बी
6.	घालक	
	(क) हल्का वाहन	कुशल - बी
	(ख) भारी वाहन	उच्च कुशल

टिप्पणी :

- इसमें उपरोक्त अधिसूचित मजदूरी की न्यूनतम दर न्यूनतम मजदूरी की मूल दर है और नियोजक द्वारा भत्तों के रूप में घटकों में पृथक्कृत के रूप में अनुज्ञात नहीं है। नियत/पुनरीक्षित की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें हरियाणा राज्य कर्मकार श्रेणी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या (आधार वर्ष 1972-73=100) जुलाई, 2015 के साथ जो आधार मास से संबंधित है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या के चढ़ाव या उतार का अनुपातिक आधार पर शतप्रतिशत तटस्थीकरण होगा। मजदूरी में समायोजन क्रमशः दिसंबर तथा जून में समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष हरियाणा राज्य कर्मकार श्रेणी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में औरतन चढ़ाव अथवा उतराव पर विचार करने के बाद प्रतिवर्ष छह मास अर्थात् प्रत्येक वर्ष प्रथम जनवरी तथा प्रथम जुलाई को किया जाएगा।
- अब नियत/पुनरीक्षित की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणाम-स्वरूप वहां तक प्रभावित नहीं होगी जहां तक वह इस बारे अब नियत/पुनरीक्षित की गई मजदूरी से कम न हो।
- शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52), के अधीन नियुक्त किए गए शिक्षुओं की मजदूरी उक्त अधिनियम के अधीन विनियमित की जाएगी।
- पुरुष तथा महिला कर्मकार की मजदूरी में कोई अन्तर नहीं होगा।
- जहां कहीं उक्त प्रवर्ग का कोई कर्मकार संविदाकार के माध्यम से काम पर लगाया जाता है/नियोजित किया जाता है वहां अधिभोगी/प्रधान नियोजक संविदाकार द्वारा मजदूरी की न्यूनतम दरों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा।
- यदि किसी नियोजन में नियोजित कर्मकारों का कोई प्रवर्ग विशेष रूप से नाम से नहीं किया गया है, तो उसे उसकी बराबर की श्रेणी में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी नहीं दी जाएगी।
- प्रति दिन की मजदूरी की गणना करते समय मासिक वेतन को 26 दिन से भाग किया जायेगा, किन्तु कटौती के लिये, यदि कोई हो, की गणना मासिक मजदूरी को 30 दिनों से भाग किया जायेगा।
- ईट भट्टा में नियोजन का प्रवर्गीकरण अनुबंध क में दिया है।
- ऊपर लिखित वेतन बिना भोजन के है। जहां पर भोजन परिपाटी अनुसार दिया जाता है, वह अतिरिक्त होगा।
- प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के दौरान उस श्रेणी पर लागू मजदूरी का 75 प्रतिशत मजदूरी दी जायेगी परन्तु यह मजदूरी अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित मजदूरी से कम नहीं होगी क्योंकि अकुशल श्रमिक के लिए किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

शशि गुलाटी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।